न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 55/2019

(225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामकिशोर दत्तक पुत्र श्री सरवन जाति मीना निवासी ग्राम फतेहपुर तर्फ मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान

.....अपीलांट

बनाम

1. कल्याण पुत्र श्री हरगोविन्द,
2. बद्री पुत्र श्री हरगोविन्द,
3. धन्नी बेवा श्री रामपाल,
4. छुट्टनलाल पुत्र श्री रामपाल,
5. जगदीश पुत्र श्री रामपाल,
6. रोशनलाल पुत्र श्री रामपाल,
7. बिल्लाराम पुत्र श्री रामपाल,
8. रघुनाथ पुत्र श्री कल्लूराम जाति मीना निवासी ग्राम फतेहपुर तर्फ मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान,
9. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलैक्टर अलवर राजस्थान,
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान,
11. पंजाब नेशनल बैंक मौजपुर जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान,
12. भूमि अवाप्ति अधिकारी डी एम आई सी जयपुर राजस्थान

.....रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–

1. श्री जनार्दन शर्मा, अभिभाषक अपीलांट।
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 05.08.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/20 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान रामकिशोर बनाम कल्याण के निर्णय दिनांक 21.08.19 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल/अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं. 166 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान में तकसीम होने पर उक्त ख.नं. 275/166 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा एवं 276 /166 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कायम किया गया है, जो हाल जमाबन्दी सम्वत् 2072ला.75 के खाता नम्बर 52 वो 10 में दर्ज है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 275/166 व ख.नं. 276/11 गलत खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इसके अतिरिक्त ख.नं. 5 रकबा 02 बिस्वा, 7 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 8 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 134 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 152 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 153 रकबा 06 बिस्वा, 195 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, 212 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा, 221 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, 222 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, 223 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, किता 13 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम फतेहपुर तर्फ मलावली विवादित आराजी है। सायलान एवं गैरसायलान के बुजुर्ग काल्या के तीन लडके क्रमशः सरवन, हरगोविन्द व रामपाल थे जो तीनों ही फौत हो गये। सरवन के कोई लडका नहीं था जिस सरवन ने अपने वंश को चलाने के लिए वादी का अर्सा 40 साल पूर्व बचपन में जर्ये गोदनामा गोद ले लिया था जो सायल रामपाल का प्राकृतिक पुत्र है। इस प्रकार सायल सरवन की तमाम चल अचल सम्पत्ति पर काबिज चला आ रहा है। हरगोविन्द के दो लड़के कल्याण वो बद्री हैं तथा रामपाल के चार लड़के छुट्टनलाल, बिल्लाराम, रोशनलाल, जगदीश वो उसकी बेवा मु. धन्नी है। उपरोक्त समस्त आराजी का आज तक कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। सालो पूर्व सरवन, हरगोविन्द व रामपाल ने घरेलू बंटवारा कर लिया था।

भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत आर्थिक कॉरीडोर फीडर मार्गों के विकास हेतु राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 148एन के निर्माण हेतु कृषि भूमि को अवाप्त किये जाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित हई है, जिसमें ख.नं. 221, 222, 223, 195 ,196, 197,212 में होकर राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है। गैर सायलान को घरेलु बंटवारे में मिली कुछ आराजी, जबकि सायल की अधिकांश आराजी में होकर राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्त की गई है। लेकिन सायल को मुआवजा 1/3 अनुसार ही मिलेगा जिससे सायल को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी। इस प्रकार सायल/अपीलाण्ट ने मातहत अदालत में निवेदन किया कि जब तक समस्त विवादित आराजी का कानूनी तकासमा नहीं हो जाता तब तक विवादित आराजी अवाप्तज की गई जमीन का मुआवजा किसी भी पक्षकार को नहीं दिये जाने बाबत गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मातहत अदालत द्वारा दिनांक 21.08.19 को वाद प्रथम दृष्टया, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नहीं मानते हुए सायल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया गया। जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में अन्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सैटलमेन्ट कर्मचारियों से साजबाज कर उक्त खसरा नं. 166 सालिम की खातेदारी स्वयं के नाम करा ली, जबकि सैटलमेन्ट विभाग को सैटलमेन्ट के दौरान राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अपीलाण्ट सं. 2 बद्री ने खसरा नं. 275/166 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा को प्रतिवादी सं. 8 को विक्रय कर दिया। खसरा नं. 166 के अलावा शेष आराजी में वाद वादी अपीलाण्ट का 1/3 भाग, रेस्पो. सं. 1 व 2 का 1/3 भाग तथा रेस्पो. सं. 3 लगा. 7 का 1/3 भाग का राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन है। आराजी हाल खसरा नंबर 221, 222, 223, 195, 196, 197, 212 वाके ग्राम फतेहपुर तर्फ मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के लिए अवाप्ति की कार्यवाही जारी है। सैटलमेन्अ विभाग की गलती के कारण अपीलाण्ट वादी का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कम दर्ज किया गया है, जबकि मौके पर 1/3 भाग पर काबिज है। अवाप्ति की कार्यवाही में मुआवजा राजस्व रिकार्ड के मुताबिक प्रतिवादीगण प्राप्त करने की पूरी जूस्तजू में हैं, जबकि प्रतिवादीगण का कानूनन हिस्सा कम होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर भी गौर नहीं करते हुए तथा राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में वाद तथा अपील के तथ्यों को दोहराया कि वादी अपीलाण्ट अपनी सम्पूर्ण पैतृक आराजियात का 1/3 भाग का वारिस है, लेकिन सैटलमेण्ट विभाग द्वारा आराजी ख.नं. 166 प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा खसरा नं. 232 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 3 लगा. 7 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी, जिसका सैटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर किया गया।

फैसल नामान्तरण दिनांक 18/09/87 का अवलोकन किया गया। उक्त में काल्या का उत्तराधिकारी श्रवण का ही अंकन है, जबकि अपील मीमों के बिन्दु संख्या 5 एवं 6 के अनुसार काल्या के 3 पुत्र सरवन, हरगोविन्द व रामपाल का कथन किया गया है। विवादित आराजी ख.नं. 166 में केवल श्रवण का ही अंकन है।

चूंकि उत्तराधिकार का निर्धारण मूल वाद में होना है। मूल वाद अभी लम्बित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा अनुसार अपीलाण्ट के पक्ष में भी है। जब तक उत्तराधिकार का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक भूमि अवाप्ति मुआवजा सरवन को ही मिलना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होगा और इसके अलावा रेस्पोडेण्टान को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया बिना सजरा का अवलोकन किए ही जो

SL

आदेश दिनांक 21.08.19 को पारित किया गया है, वह अविधिक है, साथ ही इसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर भी परीक्षण नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट अपील स्वीकार योग्य पाए जाने के कारण स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 21.08.19 को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर